न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
वाद सं0 90/18
निर्णय दिनांक: 21.06.2018

1. बाबूलाल पुत्र मांगूराम
2. गणेशराम पुत्र प्रभुदयाल
   समस्त जाति रैगर नि0 ढींढा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

वादीगण

बनाम

1. काना पुत्र मांगूराम
2. बोदू पुत्र मांगूराम
3. जितेन्द्र पुत्र जीवण
4. गोलू पुत्र जीवण
5. गोहरीदेवी पत्नि जीवण
   समस्त जाति रैगर नि0 ढींढा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जी तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा खातेदारी एंव स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि वादी सं0 1 के पिता व वादी सं0 2 के दादा स्व0 मांगू पुत्र कालूराम के नाम से आराजी खं0नं0 606/226 रकबा 3 बीघा 13 विस्वा, खं0नं0 607/226 रकबा 18 विस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 11विस्वा वाकै ग्राम ढींढा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जो सम्पूर्ण वादी सं0 1 के पिता व वादी सं0 2 के दादा स्व0 मांगू पुत्र कालूराम के नाम से राजस्व रिकोर्ड में दर्ज व अंकित थी जो वादीगण की पुश्तैनी आराजी है जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त है उपरोक्त आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी है। वादी सं0 1 के पिता व वादी सं0 2 के दादा स्व0 मांगू पुत्र कालूराम की मृत्यु दिनांक 26.11.79 को होने के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा उनकी मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी कर दिया। वादी सं0 1 के पिता व वादी सं0 2 के दादा स्व0 मांगू पुत्र कालूराम की मृत्यु के पश्चात् जब वादी ने जब पटवार हल्का ढींढा में स्थित आराजी का नामान्तकरण खुलवाने हेतु पटवार हल्का ढींढा के पटवारी से सम्पर्क किया तो पटवार हल्का द्वारा नामान्तकरण दर्ज नहीं किया गया तथा बताया गया कि उपरोक्त आराजी वर्तमान में प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 के नाम खातेदारी में दर्ज है। इसके उपरान्त वादीगण ने अपनी आराजी की जमाबन्दी की नकल व नामान्तकरण सं0 188 की नकल ली तो इस पर पता चला कि आराजी का नामान्तकरण वादीगण को छोड़कर प्रतिवादी सं0 1 के 1/3 हिस्सें में, प्रतिवादी सं0 2 के नाम 1/3 हिस्सें में व प्रतिवादी सं0 4 लगा0 5 के नाम 1/3 हिस्सें में खोल दिया गया है जबकि वादीगण भी 1/5, 1/5 हिस्सें के हकदार उपरोक्त आराजी में है जो कि उपरोक्त वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी की पुश्तैनी आराजी है वादी सं0 2 के पिता प्रभुदयाल की भी मृत्यु दिनांक 30.09.70 को हो चुकी है वादी

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

सं0 2 उनका एकमात्र वारिस है। वादीगण ने अपना नामान्तकरण खुलवाने हेतु पटवार हल्का ढींढा से सम्पर्क किया तो उन्होनें नामान्तकरण खोलने से इस आधार पर इंकार कर दिया कि उपरोक्त आराजी का नामान्तकरण पूर्व में खुल चुका है इसे उपरान्त वादी ने तहसीलदार फुलेरा से भी नामान्तकरण दर्ज करने हेतु सम्पर्क किया तो उन्होनें भी नामान्तकरण खोलने से इंकार कर दिया व न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के लिए कहा इसलिए यह वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 अटल सेवा केन्द्र ढींढा में पेश हुयी। वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 6 की ओर से तहसीलदार फुलेरा उपस्थित है। पक्षकारान ने राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली व राजीनामें का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के बाद वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि खं0नं0 606/226 रकबा 3 बीघा 13 विस्वा, खं0नं0 607/226 रकबा 18 विस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 11 विस्वा वाकै ग्राम ढींढा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में वादी सं0 1 को 1/5 हिस्सें, वादी सं0 2 को 1/5 हिस्सें, प्रतिवादी सं0 1 को 1/5 हिस्सें, प्रतिवादी सं0 2 को 1/5 हिस्सें, प्रतिवादी सं0 3 लगा0 5 को 1/5 हिस्सें का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार फुलेरा को लिखा जावें। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 21.06.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प ढींढा मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा

(आर्डर 20 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)

इज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक मुकाम सांभर लेक

इजलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0

बादूलाल वगै0 बनाम काना वगै0

वाद बाबत घोषणा खातेदारी एंव स्थादी निषेधाज्ञा

मुकदमा नंबर 90/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील श्री सुरेश कुमार शर्मा व _____ मिनजानिब मुददई रूबरू _____ मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि खं0नं0 606/226 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, खं0नं0 607/226 रकबा 18 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा वाकै ग्राम डींडा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में वादी सं0 1 को 1/5 हिस्सें, वादी सं0 2 को 1/5 हिस्सें, प्रतिवादी सं0 1 को 1/5 हिस्सें, प्रतिवादी सं0 2 को 1/5 हिस्सें, प्रतिवादी सं0 3 लगा0 5 को 1/5 हिस्सें का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है_____निज _____ मुबलिग_____ _____ बाबत_____ खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह_____ _____ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक_____का अदा करे।

बसबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21 माह 06 सन् 2018 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner